कार्यालय जिला अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर ।

(कार्यालय–आदेश)

निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रा/शैक्षिक/2001/सी–1/19626/मुख्य/बी–11/दिनांक 6.10.2001 के द्वारा निर्देश प्रदान किये है कि गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अस्थाई/स्थाई मान्यता देने के बजाय केवल मान्यता ही प्रदान की जावें । तथा जिन शैक्षिक संस्थाओं को सक्षम स्तर से अस्थाई मान्यता प्रदान कर दी गई को मान्यता प्राप्त संस्था के समकक्ष ही समझा जावें, अब इन्हें नये सिरे से स्थाई मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा।

अतः उक्त आदेशों की अनुसरणा में सत्र 2001–2002 से पूर्व जिन संस्थाओं को प्रावि/उप्रावि स्तर की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई थी। उन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त पढ़ा जावे।

इन संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप अस्तित्व स्तर में परिवर्तन होने पर यह आदेश मान्य नहीं होगा।

ह0/–
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा.शि. जयपुर।

क्रमांकःजिशिअ/जय/प्राशि/सा–5/फा–मान्यता/ 467 /02दिनांक [illegible]
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर।
3. संबंधित संस्था प्रधान– राहुल शिक्षण संस्थान गायत्री नगर पिंजरा पोल गौशाला के पास टोंक रोड सांगानेर
4. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रा.शि. जयपुर।

सचिव
राहुल शिक्षण संस्थान
गायत्री नगर–II, टोंक रोड
सांगानेर, जयपुर

PRINCIPAL (1730799)
RAHUL MA SHIKSHAN SANSTHAN
SR. SEC. SCHOOL
TONK ROAD, SANGANER, JAIPUR